दिनांक 02.08.2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बिना मास्क के बाहर निकलने वाले 76 लोगों से वसूला गया अर्थदंड , मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई रहेगी जारी

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने वालों पर निगरानी रखते हुए ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क या अन्य तरीके से मुंह को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही की। निगम की टीम लोगों के अधिक आवाजाही वाले स्थान, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख चौक चौराहो का निरीक्षण करते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही कर रहे है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क लगाने की कार्यवाही के लिए निगम आयुक्त श्री रघुवंशी ने अधिकारी कर्मचारियों का विशेष दल भी गठन किया गया है। निगम प्रशासन का विशेष अमला लोगों के अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों पर नजर रखते हुए बिना मास्क लगाए हुए निकलने वाले लोगों पर कार्यवाही कर रहे है। सप्ताह भर में निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 76 लोगों से मास्क नहीं पहनने को लेकर 9530 रुपए अर्थदंड वसूला जा चुका है।

जनसम्पर्क अधिकारी